कार्यालय उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जबलपुर (म0प्र0)

"नेशनल लोक अदालत"

दिनांक **10 फरवरी, 2018 (शनिवार)** को **"नेशनल लोक अदालत"** का आयोजन, अन्य न्यायालयों के साथ–साथ, म.प्र. उच्च न्यायालय के मुख्यपीठ जबलपुर में किया जाना है। इस नेशनल लोक अदालत में आपराधिक शमनीय प्रकरण, मोटर दुघ टिना से उद्भूत क्षतिपूर्ति हेतु दावा, चैक अनादरण के प्रकरण, भरण–पोषण/वैवाहिक विवाद प्रकरण, भू–अर्जन संबंधी प्रकरण, वेतन–भत्तों से संबंधित सेवा विवाद, राजस्व प्रकरण इत्यादि, जो पूर्व से उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हैं, को समझौता के माध्यम से निराकरण किये जाने हेतु रखा जावेगा।

अतः समस्त पक्षकारों एवं विद्वान अभिभाषकगण को सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने उपयुक्त प्रकरणों का निराकरण आपसी सहमति से कराना चाहते हैं, तो यथाशीघ्र प्रकरणों की सूची इस कार्यालय में अपने विद्वान अभिभाषक द्वारा ई–मेल, फैक्स, दूरभाष या स्वयं प्रस्तुत करें।

(राजीव कर्महे)
रजिस्ट्रार/सचिव